शोध मंथन Vol. XVI No.I Jan.- Mar. 2025 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Available at: *http:/shodhmanthan.anubooks.com*

भारत में सामाजिक न्याय और समता की दिशा में डॉ0 भीमराव अंबेडकर के योगदान का विश्लेषणात्मक अध्ययन

प्राप्तिः 17.02.2025
स्वीकृतः 22.03.2025

17

डॉ0 सुरेश कुमार
सहायक आचार्य
शिक्षा विभाग
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड
विश्वविद्यालय, बरेली (उ0प्र0)
ईमेलः sureshkumar11275@gmail.com

राजेश कुमार
शोध छात्र, (शिक्षा विभाग)
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड
विश्वविद्यालय, बरेली (उ0प्र0)

सारांश

डॉ0 भीमराव अंबेडकर का भारत में सामाजिक न्याय और समता के लिए योगदान अतंयत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। उन्होंने अपने जीवन को भारतीय समाज में व्याप्त असमानताओं और अन्याय के खिलाफ संघर्ष के लिए समर्पित कर दिया। डॉ0 अंबेडकर ने भारतीय समाज में जाति व्यवस्था को सबसे बड़ा अभिशाप माना। उन्होंने इसके उन्मूलन के लिए निरंतर संघर्ष किया। उन्होंने दलितों और अछूतों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, जो जाति व्यवस्था की सबसे निचली पायदान पर थे। डॉ0 अंबेडकर ने भारतीय संविधान को तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने संविधान में समता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों को स्थापित किया। उन्होंने जाति, धर्म, लिंग और भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को असंवैधानिक घोषित किया। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की ताकि उन्हें शिक्षा और रोजगार में समान अवसर मिल सकें। यह आरक्षण नीति आज भी सामाजिक न्याय और समता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। डॉ0 अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा ही समाज में समता और न्याय की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण साधन है। उन्होंने दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए अनेक प्रयास किए। कई शैक्षाणिक संस्थानों की स्थापना की ताकि दलित और पिछड़े वर्ग के लोग शिक्षा प्राप्त कर सकें और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। उनके धर्मांतरण ने समाज में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि सामाजिक न्याय और समानता के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति सजग और सचेत हो। डॉ0 अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों की वकालत की और उनके सशक्तिकरण के लिए काम किया। उन्होंने हिंदू कोड बिल का समर्थन किया, जो महिलाओं को संपत्ति के अधिकार और तलाक के अधिकार देने के लिए था। अंबेडकर का मानना था कि केवल राजनीतिक लोकतंत्र पर्याप्त नहीं है; इसके साथ सामाजिक लोकतंत्र भी होना चाहिए, जिसमें समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार और अवसर मिले। उन्होंने संविधान में सामाजिक लोकतंत्र के लिए आवश्यक प्रावधानों को शामिल

किया। डॉ0 भीमराव अंबेडकर का योगदान भारतीय समाज में सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में अद्वितीय और अपरिहार्य है। उन्होंने अपने विचारों और कार्यों से एक ऐसा आधार तैयार किया, जिस पर आधुनिक भारत की संरचना खड़ी है। उनका जीवन और उनका संघर्ष समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के लिए एक प्रेरणा स्त्रोत है, और उनके द्वारा स्थापित किए गए सिद्धांत आज भी सामाजिक न्याय और समता की दिशा में हमारे मार्गदर्शक बने हुए हैं।

मुख्य बिंदु

डॉ0 भीमराव अंबेडकर, सामाजिक न्याय और समता, भारतीय संविधान

प्रस्तावना

डॉ0 भीमराव अंबेडकर एक महान भारतीय समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, राजनेता और संविधान के प्रमुख वास्तुकार थे। उनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विचारों ने भारत के सामाजिक ढांचे और राजनीतिक परिदृश्य को गहराई से प्रभावित किया। उनके विचार निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण थेः डॉ0 अंबेडकर का मानना था कि जाति–व्यवस्था भारत की सबसे बड़ी सामाजिक बुराई है। उन्होंने जातिवाद को समाप्त करने और सभी नागरिकों के लिए समानता और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए संघर्ष किया। उन्होंने दलितों और अछूतों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, ताकि उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा मिले। अंबेडकर ने दलितों को उनके अधिकार दिलाने के लिए उन्हें संगठित किया और उनकी शिक्षा और आर्थिक सुधार पर जोर दिया। अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों और उनके सामाजिक सुधार के लिए भी काम किया। उन्होंने हिंदू कोड बिल का समर्थन किया, जो महिलाओं को संपत्ति और तलाक के अधिकार देने के लिए था। अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार थे। उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जो सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है और धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को समाप्त करता है। उन्होंने राजनीतिक लोकतंत्र के साथ–साथ सामाजिक लोकतंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया। अंबेडकर का मानना था कि सच्चा लोकतंत्र तब तक स्थापित नहीं हो सकता जब तक समाज में समानता नहीं होती। अंबेडकर ने सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मांग की ताकि उन्हें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में समान अवसर मिल सके। अंबेडकर का मानना था कि समाज में संपत्ति का उचित वितरण होना चाहिए ताकि आर्थिक असमानता को कम किया जा सके। उन्होंने भूमि सुधार और किसानों के अधिकारों की वकालत की। अंबेडकर राज्य के नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था के समर्थक थे, जिसमें राज्य प्रमुख संसाधनों और उद्योगों का नियंत्रण करता है ताकि सभी नागरिकों को आर्थिक लाभ प्राप्त हो। उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया और न्यूनतम मजदूरी, काम घंटे, और श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की वकालत की। अंबेडकर ने भारतीय राष्ट्रवाद को जातिवाद और सांप्रदायिकता से मुक्त करने का प्रयास किया। उनका मानना था कि भारत तभी एक मजबूत राष्ट्र बन सकता है जब सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर मिलें। उन्होंने संविधान को एक ऐसा दस्तावेज माना जो भारत के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित करता है। उनका विश्वास था कि संविधान

के माध्यम से ही भारत को एक समतामूलक समाज में बदला जा सकता है। डॉ0 भीमराव अंबेडकर के ये विचार आज भी भारतीय समाज और राजनीति में प्रासंगिक हैं और सामाजिक न्याय, समानता, और मानवाधिकारों की दिशा में किए गए उनके प्रयासों को आज भी उच्च सम्मान से देखा जाता है।

डॉ0 भीमराव अंबेडकर का जीवन

डॉ0 भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष, दृढ़ संकल्प और उत्कृष्टता की एक प्रेरणादायक कहानी है। उन्होंने अपने जीवन को समाज में समानता, न्याय और मानवाधिकारों की स्थापना के लिए समर्पित किया। यहां उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं और उपलब्धियों का विवरण दिया गया हैः डॉ0 भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश (तब मध्य प्रदेश में नहीं, ब्रिटिश भारत में) हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। वे महार जाति से थे, जो उस समय अछूत मानी जाती थी। उनका परिवार सेना में था और उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना में एक सूबेदार थे। बचपन में उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अन्य छात्रों से अलग बैठाया जाता था, और उनके साथ शिक्षक भी भेदभाव करते थे। इसके बावजूद, उन्होंने शिक्षा को प्राथमिकता दी और अपने परिवार के समर्थन से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, और 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1913 में, उन्हें बड़ौदा राज्य के महाराजा से छात्रवृत्ति मिली, जिससे वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए। उन्होंने 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क से एम.ए. किया और 1917 में पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की। उनकी पीएच.डी. का विषय ''द इवॉल्यूशन ऑफ प्रोविन्शियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया'' था। इसके बाद वे इंग्लैंड गए और 1921 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में मास्टर्स डिग्री प्राप्त की। 1923 में उन्होंने डी. एससी. (डॉक्टर ऑफ साइंस) की उपाधि प्राप्त की। भारत लौटने के बाद डॉ0 अंबेडकर ने दलितों और अछूतों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना शुरू किया। उन्होंने 1924 में 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अछूतों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए काम करना था। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जो दलितों को सार्वजनिक जलाशयों से पानी लेने के अधिकार के लिए था। उन्होंने जाति व्यवस्था और अछूत प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और समाज में समानता और न्याय की वकालत की। 1930 के दशक में, डॉ0 अंबेडकर ने दलितों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की। 1932 में, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत की, जिसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई थी। इसके परिणामस्वरूप गांधी जी के साथ पूना पैक्ट हुआ, जिसमें दलितों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया। 1936 में, उन्होंने 'इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी' की स्थापना की, जो दलितों और मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली राजनीतिक पार्टी थी। उन्होंने दलितों के लिए शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आरक्षण की मांग की। 1947 में, जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो डॉ0 अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित संविधान सभा की मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने संविधान में समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को स्थापित किया। उनके प्रयासों से संविधान में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। डॉ0 भीमराव

अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने इसे जातिवाद और भेदभाव से मुक्त धर्म के रूप में देखा, जो समानता और मानवता की बात करता है। उन्होंने लाखों दलितों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया और उन्हें भी समानता और गरिमा के लिए प्रेरित किया। डॉ0 भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ। उनकी मृत्यु के समय तक वे भारतीय समाज में समानता और न्याय के लिए एक प्रतीक बन चुके थे। डॉ0 अंबेडकर का योगदान भारतीय समाज, राजनीति, और संविधान में अद्वितीय है। उन्हें भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार के रूप में याद किया जाता है। उनके विचार और संघर्ष आज भी सामाजिक न्याय, समानता, और मानवाधिकारों के लिए प्रेरणा स्त्रोत हैं। भारत में उन्हें ''भारत रत्न'' से सम्मानित किया गया है, जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उनके द्वारा स्थापित सिद्धांत और मूल्य आज भी भारतीय समाज को समानता और न्याय की दिशा में मार्गदर्शन कर रहे हैं। डॉ0 भीमराव अंबेडकर का जीवन एक प्रेरणादायक कथा है, जो संघर्ष, शिक्षा, और समर्पण की मिसाल पेश करती है। उनके कार्य और विचार आज भी भारतीय समाज में प्रासंगिक हैं औ सामाजिक सुधार की दिशा में अग्रसर रहने के लिए प्रेरित करते हैं।

भारत में सामाजिक न्याय और समता की ऐतिहासिक अवधारणा

भारत, एक विविधतापूर्ण देश, जहाँ विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, धर्मों और जातियों का संगम होता है, वहाँ सामाजिक न्याय और समता की अवधारणा का विशेष महत्व है। भारत का इतिहास इस बात का गवाह है कि यहाँ सदियों से सामाजिक असमानता और अन्याय की समस्याएँ रही हैं। इन समस्याओं का समाधान करने और एक समतामूलक समाज की स्थापना के लिए विभिन्न कालों में कई प्रयास किए गए हैं। इस निबंध में हम भारत में सामाजिक न्याय और समता की ऐतिहासिक अवधारणा की पड़ताल करेंगे। प्राचीन भारत में समाज को चार प्रमुख वर्णों में विभाजित किया गया थाः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र। इस वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म और धर्म पर आधारित था, लेकिन समय के साथ यह जन्म आधारित जाति व्यवस्था में बदल गई। इस व्यवस्था में शुद्रों और अछूतों को समाज की निचली पायदान पर रखा गया, जिससे उन्हें समाज में गंभीर भेदभाव और अन्याय का सामना करना पड़ा। हालांकि, इस काल में भी सामाजिक न्याय और समानता के कुछ सिद्धांत का प्रचार किया। गौतम बुद्ध और महावीर ने जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया। मध्यकालीन भारत में भक्ति और सूफी आंदोलनों ने सामाजिक समता और न्याय के विचार को आगे बढ़ाया। भक्ति संतों जैसे कबीर, रविदास, और गुरू नानक ने जातिवाद और धार्मिक भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। उन्होंने ईश्वर की एकता और सभी मनुष्यों की समानता का संदेश दिया। सूफी संतों ने भी समाज में समानता और न्याय के विचार का प्रचार किया और सभी धर्मों के लोगों को समान दृष्टि से देखा। औपनिवेशिक काल में भारत में सामाजिक न्याय और समानता की अवधारणा को नया आयाम मिला। अंग्रेजों के शासन के दौरान, समाज सुधारकों ने जाति व्यवस्था, सती प्रथा, बाल विवाह, और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आंदोलन शुरू किए। ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले जैसे समाज सुधारकों ने सामाजिक सुधार के लिए काम किया। फुले दंपति ने विशेष रूप से दलितों और महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। इस काल में ज्योतिराव फुले ने 'सत्यशोधक समाज' की स्थापना की, जिसने जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया और दलितों के अधिकारों की रक्षा

के लिए आवाज उठाई। इस आंदोलन ने भारतीय समाज में सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डॉ0 भीमराव अंबेडकर और अन्य नेताओं ने सामाजिक न्याय और समानता को स्वतंत्रता आंदोलन एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया। डॉ0 अंबेडकर ने दलितों और अछूतों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने समाज में व्याप्त असमानता और अन्याय को समाप्त करने के लिए संवैधानिक और कानूनी उपायों की वकालत की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, जिसमें सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। डॉ0 अंबेडकर के नेतृत्व में तैयार किया गया भारतीय संविधान सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों की गारंटी देता है और जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को असंवैधानिक घोषित करता है। संविधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, ताकि उन्हें समाज के मुख्यधारा में लाया जा सके और उनके साथ होने वाले ऐतिहासिक अन्याय का निवारण किया जा सके। इसके अलावा, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार और अन्य सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को भी संवैधानिक संरक्षण दिया गया। आधुनिक भारत में भी सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में प्रयास जारी हैं। सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सामाजिक न्याय के लिए बने कानूनी ढांचे के तहत भेदभाव और अन्याय के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद, सामाजिक न्याय और समानता के मार्ग में चुनौतियाँ भी बनी हुई हैं। जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता और आर्थिक विषमता जैसी समस्याएँ अभी भी समाज में विद्यमान हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि सामाजिक जागरूकता और कानूनी सुधारों के माध्यम से इन चुनौमियों का सामना किया जा रहा है।

डॉ0 भीमराव अंबेडकर का भारतीय समाज में सामाजिक न्याय और समता की स्थापना में योगदान

डॉ0 भीमराव अंबेडकर का भारतीय समाज में सामाजिक न्याय और समता की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान है। वे भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार थे और उन्होंने अपने जीवन को समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित किया। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और विद्वता का प्रतीक है, जिसने भारत में सामाजिक सुधार की दिशा क्रांतिकारी बदलाव किए। डॉ0 अंबेडकर ने जातिवाद के खिलाफ अपने जीवनभर संघर्ष किया। उन्होंने जाति–आधारित भेदभाव को समाज का सबसे बड़ा अभिशाप माना और इसके उन्मूलन के लिए अनेक आंदोलनों का नेतृत्व किया। उन्होंने महाड़ सत्याग्रह (1927) के माध्यम से अछूतों को सार्वजनिक स्थानों से पानी लेने के अधिकार के लिए संघर्ष किया। डॉ0 अंबेडकर ने अस्पृश्यता, बाल विवाह और अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ कठोर रूप से आवाज उठाई। वे दलितों के लिए समान नागरिक अधिकारों की वकालत करते थे और उनके सामाजिक उत्थान के लिए शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को महत्वपूर्ण मानते थे। डॉ0 अंबेडकर को भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जहाँ उन्होंने संविधान में समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को शामिल किया। उन्होंने जाति, धर्म, लिंग, और भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को असंवैधानिक घोषित किया। डॉ0 अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा और

रोजगार के क्षेत्र में आरक्षण की नीति का समर्थन किया, ताकि उन्हें समाज के मुख्यधारा में लाया जा सके। यह आरक्षण नीति आज भी सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण साधन है। उन्होंने संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया, जिसमें सभी नागरिकों के लिए समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और शोषण के खिलाफ अधिकार शामिल हैं। इन अधिकारों के माध्यम से उन्होंने एक ऐसा समाज बनाने का प्रयास किया जहाँ हर व्यक्ति को न्याय और समानता का अवसर मिल सके। समानता और मौलिक अधिकार लोकतांत्रिक समाज की नींव हैं। ये सिद्धांत यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और स्वतंत्रता का अधिकार मिले, चाहे उनका जाति, धर्म, लिंग, भाषा या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। भारत के संविधान में इन मूल्यों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। समानता का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं होना चाहिए। समानता को दो मुख्य रूपों में समझा जा सकता हैः

कानूनी समानताः– यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि कानून के सामने सभी लोग समान हैं और कानून का समान रूप से पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत, सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त है, जो किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।

सामाजिक समानताः– सामाजिक समानता का मतलब है कि समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार और अवसर मिलें। यह जाति, धर्म, लिंग और सामाजिक स्थिति के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में काम करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि आरक्षण की व्यवस्था, जिससे समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों को सामाजिक समानता प्राप्त हो सके।

मौलिक अधिकारः– मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। भारतीय संविधान के भाग III में इन अधिकारों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इनमें से कुछ प्रमुख मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैंः

1. समानता का अधिकार– यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक विस्तारित है। इसके अंतर्गत सभी नागरिकों को कानून के सामने समानता, सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव का निषेध और समान अवसर का अधिकार प्राप्त होता है। इसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन और उपाधियों का अंत भी शामिल है।

2. स्वतंत्रता का अधिकार– अनुच्छेद 19 से 22 तक दिए गए अधिकारों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, आवगमन की स्वतंत्रता, निवास और बसने की स्वतंत्रता ओर व्यवसाय, व्यापार, या पेशे की स्वतंत्रता शामिल हैं। ये अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार– अनुच्छेद 23 और 24 के तहत किसी भी व्यक्ति को मानव तस्करी, बलात श्रम, ओर बाल श्रम से सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह अधिकार व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार– अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार शामिल है। इसमें व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म को मानने, उसका पालन करने, और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। साथ ही, धार्मिक संस्थानों के मामलों में सरकार के हस्तक्षेप पर भी रोक लगाई गई है।

5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार– अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को सुरक्षित रखने और अपने शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया है। ये अधिकार सांस्कृतिक विविधता और शैक्षिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं।

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार– अनुच्छेद 32 के तहत, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर न्याय पाने का अधिकार रखता है। ''संविधान का हृदय और आत्मा'' कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य सभी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है।

डॉ0 अंबेडकर ने शिक्षा को सामाजिक सुधार का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना। उन्होंने दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए अनेक प्रयास किए। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे समाज में समानता और न्याय की स्थापना की जा सकती है। उन्होंने कई शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की, ताकि वंचित वर्गों के लोग शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपने अधिकारों के प्रति सजग हो सकें। उनके द्वारा स्थापित सिद्धांत आज भी शिक्षा के माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण के मार्गदर्शक बने हुए हैं। डॉ0 अंबेडकर ने जातिवाद और भेदभाव से मुक्त होने के लिए 1956 में बौद्ध ध र्म अपनाया। उन्होंने इसे एक ऐसा धर्म माना जो समानता, करुणा और मानवता के सिद्धांतों पर आधारित है। उनके इस कदम ने दलित समुदाय को सामाजिक और मानसिक स्वतंत्रता की नई दिशा दी। डॉ0 अंबेडकर ने धर्मांतरण को सामाजिक सुधार का एक साधन माना और लाखों दलितों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। यह कदम समाज में समानता और न्याय के लिए उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक था। डॉ0 अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों की भी पुरजोर वकालत की। उन्होंने महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार, तलाक का अधिकार और अन्य कानूनी अधिकारों की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका मानना था कि एक समाज तभी न्यायपूर्ण हो सकता है जब उसमें महिलाओं को समान अधिकार और अवसर मिले। डॉ0 अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल का समर्थन किया, जो हिंदू महिलाओं को संपत्ति में अधिकार और तलाक का अधिकार प्रदान करता था। यह उनके महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक था।

सम्बंधित साहित्य का अध्ययन

जोशी, आर. (2022) ने अपने अध्ययन निष्कर्ष में लिखा है कि डॉ0 भीमराव अंबेडकर ''दया धर्म का मूल'' सिद्धांत के प्रबल विरोधी थे, क्योंकि ''दया'' में दूसरो को दयनीय और दया का पात्र बना देने का एक बड़ा दोष भी है। दुःखी मनुष्य का दुःख दूर करना पुण्य का परिचायक है किन्तु उसे दया का पात्र बना देना महापाप है। दया का पात्र बनते ही मनुष्य हीन भावना से भर उठता है। इसी दया धर्म की हीन भावना ने समाज में दलित–शोषित पीड़ित मनुष्य को समाज, समुदाय को अलग–थलग किया है किन्तु आज भी दया धर्म वाले करूणा, ममता, समता के दर्शन को नहीं समझ सके है और व्यवस्था में विसमता असमानता के विष ने भारतीयता और सामाजिकता को रक्त रंजित कर दिया है। इसी का परिणाम द्वेष, अस्पृष्यता, असमानता, अराजकता और अलगाववाद है जिसने सामाजिकता की हत्या का जघन्य अपराध किया है और व्यवस्था में विषमता असमानता के विष ने भारतीयता और सामाजिकता को रक्त रंजित कर दिया है जो सदियों से सामाजिक व्यवस्था के अभिन्न अंग बने हुए है। आत्मोद्धार और अछूतोद्धार के अनवरत प्रयासों पर्यन्त ही भारत ''सत्यमेव जयते'' और अहिंसा परमोधर्म के सिद्धांतों को आत्मसात कर सकता है।

बघेल, डी.के. (2024) ने शोध अध्ययन में पाया कि डॉ0 भीमराव अंबेडकर ने भारतीय समाज के शोषित और वंचित वर्गों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता के माध्यम से श्रमिक उत्थान को प्राथमिकता दी। उनकी नीतियों और कार्यक्षमताओं ने भारतीय समाज में व्याप्त असमानता को समाप्त करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने समाज में समानता, न्याय और सम्मान के लिए लड़ने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। उनकी श्रम संबंधी नीतियाँ और कार्यक्षमताएँ, जैसे कि श्रमिकों के लिए समान वेतन और उचित व्यवस्थित श्रम संबंधित कानूनी अधिकारों की गारंटी, ने उन्हें आर्थिक रूप से स्थिर बनाने में मदद की।

डॉ0 पूनम भारतीय (2023) ने अपने शोध में लिखा है कि डॉ0 अंबेडकर एक श्रमिक नेता थे जिन्होंने कानून का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं से श्रमिकों की रक्षा की अनुचित तरीकों से उन्होंने उनके वेतन अधिकारों की रक्षा की और कार्यस्थल को बेहतर बनाया। बहुमत मजदूर अछूत वर्ग के थे, जो अधिक कष्ट सहते थे और अवांछनीय परिस्थितियों में काम करते थे क्षेत्र, जिनमें विभिन्न घरेलू काम–काज जैसे अस्पष्ट क्षेत्र भी शामिल हैं। डॉ0 अंबेडकर ने श्रमिक कल्याण के लिए कार्य किया, उन्होंने आधुनिक भारत की औद्योगिक नीति को आकार देने में मदद की युग और मानव संसाधन प्रबंधन का एक नया विचार प्रस्तुत किया।

धवलेश्वर, सी.यू., और बनसोडे, सी. (2017) ने अपने शोध लेखन में बताया कि बहुत कम समाज सुधारकों ने अस्पृश्यता जैसी अप्राकृतिक सामाजिक प्रथाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी हाशिए पर रहने वाले वर्गों के खिलाफ अन्य भेदभाव। महात्मा बसवेश्वर, ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति शाहू महाराज, श्री नारायण गुरू, पेरियार ई. वी. रामास्वामी और बी.आर. अंबेडकर उनमें से प्रमुख थे। अंबेडकर का दावा है कि जाति श्रम विभाजन पर आधारित नहीं है। मजदूरों का बंटवारा है, आर्थिक संगठन के रूप में भी जाति एक हानिकारक संस्था है। उनके अनुसार, समाज तर्क पर आधारित होना चाहिए न कि जाति व्यवस्था की क्रूर परंपराओं पर। समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए सामाजिक जाति व्यवस्था को हटाने की प्रक्रिया में कार्य शिक्षा और पेशे की अधिक जिम्मेदारी है और सामुदायिक विकास, शिक्षा और क्षेत्र अभ्यास का हाथ–दर–हाथ समर्थन योगदान दे सकता है।

कौर, पी. (2022) ने अपने शोध कार्य में इंगित किया है कि सामाजिक न्याय का विचार गहराई से निहित है और सामाजिक असमानता की अवधारणा का दृढ़ता से विरोध करता है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक असमानता जीवन का एक तरीका था। ऐसी सामाजिक व्यवस्था में एक प्रमुख अल्पसंख्यक ने अपने प्रभुत्व को कायम रखने और अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए बहुसंख्यक लोगों को गुलाम बना लिया। लाखों लोगों को उनक बुनियादी नागरिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया और उन्हें मानव जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। बाबा साहेब अंबेडकर जो स्वयं ऐसे समुदाय से थे, समाज के ऐसे अपमानित व्यवहार का शिकार बने। ऐसे विभाजित समाज के दर्द और घुटन को महसूस करते हुए वह समाज के दबे–कुचले और वंचित वर्गों के लिए एक प्रकाशस्तंभ बन गए। अपने अथक संघर्ष से उन्होंने सदियों पुरानी रूढ़ीवादी कठोर सामाजिक व्यवस्था और उनमें व्याप्त सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बाबासाहेब अंबेडकर ने हमेशा एक आदर्श समाज बनाने पर जोर दिया जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की तिकड़ी पर आधारित होना चाहिए। न्यूलाइन शोधकर्ता के काम की कल्पना बाबासाहेब अंबेडकर के

दृष्टिकोण के चश्मे से सामाजिक न्याय की अवधारणा को देखने और सामाजिक न्याय प्राप्त करने की दिशा में उनके शानदार योगदान पर प्रकाश डालने के प्रयास के रूप में की गई है। इस विषय को लेने की प्रेरणा यानी डॉ0 बी.आर. सामाजिक न्याय की दिशा में अंबेडकर का योगदानः एक अध्ययन दोतरफा था। सबसे पहले समाज के वंचित वर्गों, जिनमें अनुसूचित जाति, महिलाएं और श्रमिक वर्ग शामिल हैं, की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों को सुधारने में डॉ0 अंबेडकर के अपार योगदान का विश्लेषण करना है। दूसरा यह पता लगाना है कि बाबा साहब अंबेडकर की परिकल्पना के अनुसार सामाजिक न्याय प्राप्त करने का कार्य कितना पूरा हुआ है।

सिन्हा, ए. (2015) ने अपने अध्ययन में निरूपित किया है कि डॉ0 अंबेडकर सामाजिक–राजनीतिक सुधारक के दूत हैं। जिस तरह से उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया उससे उनका कायाकल्प हो गया। आरक्षण की नीति ने वंचितों के लिए जगह बनाई सार्वजनिक डोमेन, कार्यस्थल, शैक्षणिक संस्थानों में और कार्यस्थल। कई संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों का नाम उनके नाम पर रखा गया है। 1990 के दशक में, कुछ हंगेरियाई रोमानी लोगों ने समानताएँ बनाईं उनकी अपनी स्थिति और की स्थिति के बीच भारत में दलित लोग। अंबेडकर से प्रेरित दृष्टिकोण, वे बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने लगा।

सहदेवुडु, जी.आर., रेड्डी, वाई., और वेंकटेश्वरुलु, सी. (2015) ने अपने शोध अध्ययन में लिखा है कि डॉ0 अंबेडकर का जीवन छोटा और फिर भी सबसे उल्लेखनीय था। वह धूल से ऊपर उठा, एक जानवर से भी बदतर व्यवहार किये जाने के बाद भारतीय संविधान के जनक बने। डॉ0 अंबेडकर वे वास्तव में एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे। एक सच्चा मुक्तिदाता दलितों के एक महान राष्ट्रीय नेता, देशभक्त, एक महान लेखक, महान शिक्षाविद्, महान राजनीतिक दार्शनिक, धार्मिक मार्गदर्शक और सबसे बढ़कर एक महान मानवतावादी थे। अपने समकालीनों के बीच अंबेडकर व्यक्तित्व में मजबूत मानवतावादी आधार थे। यह केवल खेदजनक है कि प्रेस ने अतीत में भी समकालीनों ने अंबेडकर को मुख्य रूप से एक महान सामाजिक व्यक्ति के रूप में पेश किया है। विद्रोही और हिंदू धर्म का कटु आलोचक कहे गए। डॉ0 के आलोचकों अंबेडकर ने अपनी मूल मानवतावादी प्रवृत्ति को नजर अंदाज कर दिया। उनके हर कार्य या भाषण के पीछे मजबूत मानवीय प्रतिबद्धता थी। डॉ0 अंबेडकर आधुनिक भारत के अग्रणी निर्माता थे।

लक्ष्मी, जे. (2014) ने अपनर शोध निष्कर्ष में लिखा है कि भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को समानता, सम्मान के साथ जीने का समान अधिकार प्रदान करता है और गरिमा, लेकिन जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता किसी भी तरह से और अन्य अभी भी नकारात्मक भूमिका निभा रहे थे।

समाज के विभिन्न अंग अस्पृश्यता मानवता के विरुद्ध अपराध है। बेहतर/डोम के विरुद्ध अस्पृश्यता हमारे समाज में आज भी दलितों की उपजाति प्रचलित है जो अमानवीय है। इसलिए इसे अपनाने का यह सही समय है। डॉ0 भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत भारत का संविधान इस तरह से बनाया गया है कि इसके सभी नागरिक समान हैं। इससे पहले हमारा देश समाज में विभिन्न प्रकार की सामाजिक–आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक बुराइयों का सामना कर रहा है। केवल संविधान का उसकी वास्तविक भावना में प्रभावी कार्यान्वयन ही उन पर काबू पा सकता है। दलित भी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक सभी क्षेत्रों में आगे आकर कड़ी मेहनत कर मुकाबला करें। समाज के अन्य सदस्य उन्हें शक्ति प्रदर्शन से बचना चाहिए और अपने अधिकारों का समुचित उपभोग करना चाहिए। प्रत्येक दलित

सदस्य को दूसरा अंबेडकर बनने का प्रयास करना होगा। ईश्वर ने सृष्टि सहित समस्त सृष्टि की रचना की है। बिना जाति पहचान के इंसान, यह हम ही हैं जो ये सभी भेदभाव करते हैं। उन्नत लोग वर्गों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। उन्हें दलितों के प्रति और अधिक उदार होना होगा। अस्पृश्यता को स्वीकार कर उनकी सामाजिक–आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक स्थिति का उत्थान आदि वे अपने जैसे समान इंसान हैं। हमारे समाज की सामाजिक संरचना मुख्यतः इन्हीं पर आधारित है क्योंकि ये वे लोग हैं जो सभी प्रकार के छोटे–मोटे काम करते हैं जिनसे आमतौर पर लोग बचते हैं।

निष्कर्ष

भारत में सामाजिक न्याय और समता की ऐतिहासिक अवधारणा एक लंबी और जटिल यात्रा का परिणाम है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक, विभिन्न सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों, विचारकों और नेताओं ने सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना के लिए संघर्ष किया है। भारतीय संविधान ने इन सिद्धांतों को सुदृढ़ किया और स्वतंत्रता के बाद के भारत में सामाजिक न्याय के लिए एक मजबूत आधारशिलाा रखी। आज, सामाजिक न्याय और समानता भारतीय लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत हैं, जो एक समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए आवश्यक हैं। यह न केवल ऐतिहासिक महत्व रखता है, बल्कि भविष्य के भारत के निर्माण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। समानता और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के आधारभूत स्तंभ है। ये अधिकार हर नागरिक को स्वतंत्रता, गरिमा और समानता के साथ जीने का अवसर प्रदान करते हैं। समानता का सिद्धांत सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जबकि मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा के लिए आवश्यक हैं। इन सिद्धांतों और अधिकारों का समुचित पालन ही एक समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सकता है। डॉ0 भीमराव अंबेडकर के विचार में सामाजिक का अर्थ एक ऐसे समाज से है जहाँ सभी व्यक्तियों को जाति, धर्म, लिंग और सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव के बिना समान अवसर, अधिकार और सम्मान मिले। उनके विचार में, सामाजिक समानता केवल कानूनी समानता तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह समाज के हर स्तर पर व्यावहारिक रूप से लागू होनी चाहिए थी। डॉ0 भीमराव अंबेडकर का जीवन और योगदान भारतीय समाज में सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। उन्होंने अपने विचारों, संघर्षों और कार्यों के माध्यम से एक ऐसा समाज बनाने की दिशा में प्रयास किया, जिसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान प्राप्त हो। भारतीय संविधान में शामिल उनके सिद्धांत और नीतियाँ आज भी सामाजिक न्याय के लिए मार्गदर्शन करती हैं और उनके संघर्ष से प्रेरणा लेकर समाज में समानता और न्याय की स्थापना के प्रयास जारी हैं। इस प्रकार, सामाजिक न्याय और समता की अवधारणा भारत में संवैधानिक, ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टिकोण से एक गहरे और व्यापक विषय का प्रतिनिधित्व करती है। यह न केवल मानसिक अधिकारों की रक्षा करती है, बल्कि विभिन्न समुदायों की विशेष आवश्यकताओं को भी उच्च प्राथमिकता देती है। इसे बनाए रखना और सशक्त करना समाज की एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है।

संदर्भ

1. लक्ष्मी, जे. आधुनिक दिनों के दलितों और महिलाओं के उत्थान में अंबेडकर के योगदान की प्रासंगिकता। आईओएसआर जर्नल ऑफ ह्यूमेंनिटीज एंड सोशल साइंस, 19, पृ० सं०–62–66।

2. सहदेवुडु, जी.आर., रेड्डी, वाई., और वेंकटेश्वरुलु, सी. (2015) आधुनिक भारत में डॉ0 बी. आर. अंबेडकर की भूमिका–एक अध्ययन। सामाजिक विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय जर्नल खंड 4 (11) 20, पृ० सं०–23।
3. सिन्हा, ए. (2015)। भारतीय संविधान के वास्तुकार और समाज सुधारक के रूप में अंबेडकरः शौचालय से सचिवालय तक एक मार्ग। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांसेज इन सोशल साइंसेज, 3(1), पृ० सं०–16–18।
4. धवलेश्वर, सी.यू., और बनसोडे, सी. (2017)। हाशिये पर पड़े वर्गों के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में डॉ0 बी.आर. अंबेडकर। मानव संसाधन और सामाजिक विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान जर्नल, 4(10)।
5. ब्रोटोटी रॉय. (2019)। भारतीय के पर्यावरण न्याय आंदोलन। भारतीय उन्नत अध्ययन केंद्र (CASI).
6. कौर, पी. (2022) डॉ0 अंबेडकर का सामाजिक न्याय में योगदान एक अध्ययन।
7. जोशी, आर. (2022)। डॉ0 भीमराव अंबेडकर और सामाजिक न्यायः एक विश्लेषण। एजीपीई द रॉयल गोंडवाना रिसर्च जर्नल ऑफ हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल साइंस, 3(6), पृ० सं०–31–35।
8. भारतीय, पूनम (2023). नए आधुनिक श्रमिक वर्ग के निर्माण में डॉ0 बी.आर. अंबेडकर की भूमिकाः परिप्रेक्ष्य और नीतियां।
9. वेरा ह्यूअर. (2023)। भारत में सक्रियता और महिला अधिकार–एशियाई अध्ययन संघ। https://www.asianstudies.org/publications/eaa/archives/activism-and-womens-rights-in-india/
10. बघेल, डी.के. (2024)। डॉ0 भीमराव अंबेडकर द्वारा श्रमिक उत्थान के लिए किये गये कार्यः डॉ0 भीमराव बेरोजगार श्रमिकों द्वारा उठाए गए कार्य। रिसर्च रिव्यू इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी, 9(5), 9. पृ० सं०–309–317।
11. दलित आंदोलन. (2024)।Unacademy.https://Unacademy.com/content/upsc/studymaterial/sociology/dalit-movement/
12. Social%20न्याय%20and%20Dr%20Ambedkar%20in%20hindi.pdf. (2022)dbbau.ac.in. https://www.bbau.ac.in/Docs/FoundationCourse/TM/MPDC405/Social%20Justice%20and%20Dr%20Ambedkar%20in%20hindi.pdf
13. विकिमीडिया परियोजनाओं में योगदानकर्ता। (2024)। सामाजिक न्याय–वैप. विकिमीडिया फाउंडेशन, इंक, https://hi.wikipedia.org/wiki/
14. टेस्टबुक। (2023)। भारत में जाति आंदोलनः संक्षिप्त इतिहास, विशेषताएँ और बहुत कुछ यहाँ! टेस्टबुक। https://testbook.com/static-gk/caste-movements-in-india
15. दलित आंदोलन (2024)। Unacademy. https://Unacademy.com/content/upsc/study-material/sociology/dalit-movement/